झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन विभिन्न सिंचाई योजनाओं से अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने के लिए विशेष मरम्मति कार्य हेतु रू॰ 66.27 लाख (रू० छियासठ लाख सताईस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन विभिन्न सिंचाई योजनाओं से अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने के लिए विशेष मरम्मति कार्य हेतु रू॰ 66.27 लाख (रू० छियासठ लाख सताईस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विभिन्न योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2016 में नहरों के अधिकतम दूरी तक पानी पहूँचाने हेतु विशेष मरम्मति का कार्य किया जायेगा –

(i) **उत्तमाही सिंचाई योजना (प्रमण्डल का नाम– अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा)** के नहरों के तल सफाई, बाँधों के टुटानों एवं आउटलेट, इनलेट, क्रास ड्रेनेज के मरम्मति का कार्य किया जायेगा। उत्माही सिंचाई योजना के दायाँ मुख्य नहर की लम्बाई 6.60 कि०मी० है। इसके अन्तर्गत नहरों के तल में जमा सिल्ट हटाने, झाड़ी, घास–फुस की सफाई करने, आउटलेट/इनलेट/क्रॉस ड्रेनेज की मरम्मति एवं तटबंध के टुटानों की मरम्मति का कार्य किया जायेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 12.37 लाख

(ii) **बभनीखाड़ जलाशय योजना (प्रमण्डल का नाम– अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा)** के नहरों के तल सफाई, बाँधों के टुटानों एवं आउटलेट, इनलेट, क्रास ड्रेनेज के मरम्मति का कार्य किया जायेगा। बभनीखांड जलाशय योजना के गेट का रोप टूटा हुआ है एवं गेट क्षतिग्रस्त है, इस योजना से एक मुख्य नहर है, जिसकी कुल लम्बाई 3.50 कि०मी० है। इसके अन्तर्गत नहरों के तल में जमा सिल्ट हटाने, झाड़ी, घास–फुस की सफाई करने, आउटलेट/इनलेट/क्रॉस ड्रेनेज की मरम्मति एवं तटबंध के टुटानों की मरम्मति का कार्य किया जायेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 4.15 लाख

(iii) **बाँयी बांकी जलाशय योजना (प्रमण्डल का नाम– अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा)** के नहरों के तल सफाई, बाँधों के टुटानों एवं आउटलेट, इनलेट, क्रास ड्रेनेज के मरम्मति का कार्य किया जायेगा। बाँयी बांकी जलाशय योजना में बायाँ एवं दायाँ दो मुख्य नहर है जिसकी कुल लम्बाई 12.04 कि०मी० है। इसके अन्तर्गत नहरों के तल में जमा सिल्ट हटाने, झाड़ी, घास–फुस की सफाई करने, आउटलेट/इनलेट/क्रॉस ड्रेनेज की मरम्मति एवं तटबंध के टुटानों की मरम्मति का कार्य किया जायेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गढ़वा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 8.21 लाख

(iv) **फुलवरिया सिंचाई योजना (प्रमण्डल का नाम– जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा)** के तहत् सिंचाई योजना से दो नहर क्रमशः दायाँ नहर 4.26 कि०मी० एवं बायाँ नहर 3.15 कि०मी० की लम्बाई में है। इसके अन्तर्गत नहरों के तल में जमा सिल्ट को हटाने, तीन आउटलेटों की मरम्मति, टूटानों की मरम्मति एवं SLR Bridge, Parapet Wall तथा झाड़ी कटिंग एवं आवश्यकतानुसार स्टोन बोल्डर जुड़ाई कार्य किया जायेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गढ़वा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 5.709 लाख

(v) **धनकाई जलाशय योजना (प्रमण्डल का नाम– जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा)** के नहरों के तल सफाई एवं मरम्मति का कार्य किया जायेगा। इसके अन्तर्गत नहरों के तल में जमा सिल्ट हटाने का कार्य किया जायेगा। जिसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गढ़वा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 2.16 लाख

(vi) **चटनियाघाट जलाशय योजना (प्रमण्डल का नाम– कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर उटारी, गढ़वा)** के बाँध के शीर्ष नियामक गेटों की जर्जर स्थिति होने के कारण Fabrication and Erection with Hoisting arrangement एवं सुरक्षा हेतु रूम निर्माण का कार्य किया जायेगा। योजना के मुख्य नहर से दो शाखा नहर क्रमशः दायाँ शाखा नहर 3.35 कि०मी० एवं बायाँ शाखा नहर 2.68 कि०मी० की है। इसके अन्तर्गत नहरों के तल में जमा सिल्ट को हटाने, दो आउटलेटों की मरम्मति, टूटानों की मरम्मति एवं आवश्यकतानुसार स्टोन बोल्डर जुड़ाई कार्य किया जायेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गढ़वा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 27.276 लाख

(vii) **टेमराईन जलाशय योजना (प्रमण्डल का नाम– जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर)** पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड में अवस्थित है। इस योजना में पुनर्स्थापन से संबंधित कार्यों में नहर मरम्मति एवं नहर तल की सफाई, सी०डी० की मरम्मति एवं हेड रेगुलेटर की मरम्मति का कार्य किया जायेगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 6.39 लाख

4. यह कार्य को वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित करने का कार्यक्रम है। कार्य तीन महीने के अन्दर पूरा कराया जायेगा। वर्ष 2015–16 में निविदा आमंत्रण एवं निष्पादन किया जा सकता है।

5. (i) इस योजना पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री),

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), तथा

(iii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा, जिसके लिये वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के बजट में राशि का प्रावधान है।

6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमांक– 3 (i) से 3(iii) तक के कार्यों के लिये कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा, 3 (iv) से 3(v) तक के कार्यों के लिये कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा, 3 (vi) के कार्य के लिये कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर उंटारी (गढ़वा) तथा क्रमांक– 3 (vii) के कार्य के लिये कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

9. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. कार्य हेतु राशि की निकासी क्रमांक 3(i) से 3(vi) के लिए गढ़वा कोषागार एवं 3(vii) के लिए पलामू कोषागार से की जायेगी।

11. इस कार्य के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

12. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/वित्त –सह– योजना विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, गढ़वा/पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– 01/16-17 प्र० ह्वी० /राँची, दिनांक 04.04.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गढ़वा/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/ कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर उंटारी (गढ़वा)/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/4/16

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

04/04/16